




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

मु. नं.- 08/24 (दावा) राजन्ती देवी बनाम जगनी देवी वगैरह

किस्म मुकदमा-वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागील में जारी हुए
15/2/24	<p>यह वादपत्र, वादी की ओर से अभिभाषक श्री विक्रमसिंह गुर्जर एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन (SUMMAN) जारी हो। वास्ते तलबी दिनांक 28.3.24 को पेश हो।</p> <p align="center">  उपखण्ड अधिकारी मण्डावर(दौसा) </p>	
21/3/24	<p>आज फागली पेश हुई। वहील वादी उपस्थित। वहील वादी द्वारा दावा 'आगे नदी' पलाये जाने के कारण Not Proved किया है। अतः दावा वहील द्वारा Not Proved किया जाने के फलस्वरूप खारिजा किया जाने योग्य है। अतः दावा वारी उपरोक्त स्तर पर खारिजा किया जाता है। फागली फॉरमल शुमार होकर दाखिल एफर हो।</p> <p align="center">  उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) </p>	<p>Not Proved विक्रम सि</p> <p align="center">  नि. राजन्ती </p>